मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :– 079 / 2024

1. हरभजनसिह पुत्र निहाल सिह जाति जटसिख निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. गुरप्यारसिह पुत्र निहाल सिह जाति जटसिख निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – वादीगण

बनाम

1. बलदेव कौर पत्नी निहाल सिह जाति जटसिख निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. अमरजीत कौर पुत्री निहाल सिह पत्नी दर्शनसिह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. सिमरजीत कौर पुत्री निहाल सिह पत्नी प्रकाश सिह जाति जटसिख निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. परमजीत कौर पुत्री निहाल सिह पत्नी हरबंस सिह जाति जटसिख निवासी ढाणी बख्तावर सिह तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :–88 आर.टी.ए.घोषणा

निर्णय दिनांक :– 31.05.2024

वादी की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैल सिंह अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 31.05.24 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर अन्तिम [illegible] जाता है, कि वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन [illegible] दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य [illegible] काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित निहाल सिह के नाम से [illegible]क नम्बर 8 डी.बी.एल. के खाता संख्या 66 / 34 में कुल .039 हैक्टर में 1 / 3 हिस्सा व इसी चक 8 डी.बी.एल. के खाता संख्या 34 / 29 में कुल 7.425 हैक्टर में 1361 / 2475 हिस्सा आराजी के वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 8 डी.बी.एल. के खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 10:59:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

संख्या 66/34 व इसी चक 8 डी.बी.एल. के खाता संख्या 34/29 में से निहाल सिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 31.05.24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	--	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--	अर्जी के लिये स्टाम्प	--
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	--	प्लीडर की फीस	--
रुपये पर प्लीडर की फीस	--	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--	आदेशिका की तामिल	--
कमिश्नर की फीस	--	कमिश्नर की फीस	--
आदेशिका की तामिल	--		
योग	--	योग	--

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 10:59:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner